राजस्थान सरकार
राज्य स्वास्थ्य समिति (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक – एफ–12 (2) एन.आर..एच.एम. / आयुष / 09 / 5525 दिनांक– 03.12.09

अल्पावधि विज्ञापन
(केवल अनुसूचित / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत व्यक्तिगत अनुबंध के आधार पर आयुर्वेद चिकित्सक रखे जाने हेतु दिनांक 19.08.09 को जारी राज्य स्तरीय चयन सूची में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त रहे (बैकलॉग) 92 अनुसूचित जाति, 71 अनुसूचित जनजाति के पदों को भरे जाने हेतु राजस्थान आयुर्वेद, होम्यो., यूनानी एवं प्राकृतिक सेवा नियम 1973 में उल्लेखित योग्यताधारियों से दिनांक 18.12.09 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :–

पात्रता एवं शर्तें :–

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:– Degree of Bhishagacharya (University of Rajasthan) Ayurvedacharya i.e. Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (University of Rajasthan) or Qualification recognized as equivalent thereto by the Government. (चिकित्सक का पंजीकरण बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर में अद्यतन नवीनीकृत हो।) इसके साथ–साथ अपेक्षित इन्टर्नशिप आवेदन की अंतिम तिथि तक पूर्ण होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. मानदेय:– रुपये 8,000 / – प्रतिमाह फिक्स (अन्य कोई भत्ते देय नहीं)।
3. आयु:– न्यूनतम 20 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष (क) आयुसीमा की गणना 01.01.2010 को आधार मानकर की जायेगी, (ख) अधिकतम आयुसीमा में छूट–राजस्थान आयुर्वेद; होम्यो.; यूनानी एवं प्राकृतिक सेवा नियम 1973 के नियमान्तर्गत तथा राज्य सरकार के नवीनतम नियमानुसार देय होगी। जन्म तारीख उनके सैकेण्डरी / हाईस्कूल के प्रमाण पत्रों से प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी है।
4. चयनित अभ्यर्थियों का व्यक्तिगत अनुबन्ध दिनांक 31.03.2010 अथवा एन.आर.एच.एम. गतिविधियां जारी रहने तक जो भी पहले हो, के लिए मान्य होगा। कार्य संतोषप्रद रहने पर अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुबंध नवीनीकरण योग्य होगा।
5. अभ्यर्थी दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात् तीसरी संतान होने पर चयन हेतु पात्र नहीं होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जावे। (शपथ पत्र संलग्न करें)
6. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प–6 (19) गृह–13 / 06 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीकरण करना अनिवार्य किया गया है। (तत्संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. जिन अभ्यर्थियों ने विवाह के समय दहेज लिया / दिया है, वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। (शपथ पत्र संलग्न करें)
9. आयुर्वेद चिकित्सक हेतु अनुबंध प्राथमिक / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विशेष के लिए निर्धारित राशि 500 / –रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर किया जायेगा। एक बार अनुबंध के पश्चात् स्थानान्तरण नहीं होगा।
10. पूर्व में एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत अनुबंधित आयुर्वेद चिकित्सक इस विज्ञप्ति में चयन के पात्र नहीं होंगे तथा अभ्यर्थी को उक्त आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, इनके द्वारा पूर्व में आयुर्वेद चिकित्सक की सेवाएं दिये जाने हेतु एन.आर.एच.एम. योजना के अंतर्गत कोई अनुबंध नही किया हुआ है।
11. जिन पुरूष / महिला अभ्यर्थी के एक से अधिक पति / पत्नी हैं, तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। (शपथ पत्र संलग्न करें)
12. विज्ञापित आयुर्वेद चिकित्सकों के पद घटाये या बढ़ाये जाने का विभाग को पूर्ण अधिकार होगा।

13. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उक्त रिक्त पदों में नियमानुसार महिला/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक को आरक्षण देय होगा।
14. पदों एवं अनुबंध की अन्य शर्तों की जानकारी स्टेट नोडल ऑफिसर (आयुष), राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी, एन.आर.एच.एम., निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर से अथवा विभाग की वेबवाइट rajswasthya.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।
15. इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र मय वांछित समस्त प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियों सहित, मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम., निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर के नाम कमरा नंबर 309 में दिनांक 18.12.09 सायंकाल 6.00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/कोरियर या व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जा सकेंगे। अभ्यर्थी आवेदन पत्र के लिफाफे पर "विज्ञापन संख्या एवं आयुर्वेद चिकित्सक हेतु आवेदन पत्र" स्पष्ट रूप से अंकित करें।

मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम. जयपुर

. . . .

आवेदन पत्र का प्रारूप

एन.आर.एच.एम. योजनान्तर्गत संविदा पर आयुर्वेद चिकित्सकों के पद के लिए आवेदन

(केवल अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए)

पासपोर्ट आकार की राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित नवीनतम फोटो यहां चिपकाऐं

1. आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :–
2. पिता/पति का नाम :–
3. जन्म तिथि (सैकेण्डरी/हाईस्कूल की अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र संलग्न करें) :–
4. लिंग (पुरूष/महिला) :–
5. राष्ट्रीयता :–
6. जाति वर्ग (अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें :–
7. निःशक्तजन (One Leg Category विकलांगता 40% अथवा इससे अधिक होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें) :–
8. भू.पू. सैनिक (सक्षम अधिकारी द्वारा सेवा सत्यापन एवं जिला सैनिक बोर्ड का प्रमाण पत्र संलग्न करें) :–
9. गृह जिला व स्थाई पता :–
10. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा आचरण संबंधी प्रमाण–पत्र (जो रिश्तेदार नहीं हो एवं प्रमाण पत्र 6 माह से पुराना न हो) :–
11. शैक्षणिक योग्यता (बी.ए.एम.एस. उपाधि का विवरण) :–

शैक्षणिक योग्यता	बोर्ड/वि.वि. का नाम	वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
प्रथम वर्ष					
द्वितीय वर्ष					
तृतीय वर्ष					
चतुर्थ वर्ष					
अंतिम वर्ष					
		योग			

12. इन्टर्नशिप पूर्ण करने की दिनांक :– (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :–
13. एम.डी. (आयुर्वेद) उपाधि यदि हो तो विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :–
14. बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान, जयपुर में पंजीकरण, क्रमांक एवं दिनांक (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :–

हस्ताक्षर अभ्यर्थी

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण तथ्य, प्रमाण पत्रादि मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य व सही है। मैं जानता हूं कि किसी भी सूचना के असत्य व गलत पाये जाने पर किसी भी समय मेरा आवेदन/नियुक्ति रद्द की जा सकती है। यदि चयन पश्चात् उक्त तथ्य गलत पाया जाता है, तो विभाग अनुबंध निरस्त करते हुए दाण्डिक कार्यवाही किये जाने के लिए स्वतंत्र होगा।

स्थान :
दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता मय दूरभाषः

नोट :– 1. समस्त वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियां संलग्न करें। 2. उक्त प्रारूप टंकण/कम्प्यूटराईज्ड करवाकर प्रयोग करें।